न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 102/2020

GCMS NO. : 2020/00231

–:: वादीगण :–

1. बाबूलाल पुत्र मंगाराम
2. पुकाराम पुत्र मंगाराम
3. दुर्गाराम पुत्र मंगाराम
4. हरदीनराम पुत्र मंगाराम
5. मूलाराम पुत्र खेमाराम
6. चन्द्राराम पुत्र खेमाराम

जातियान– माली, निवासी– बलून्दा बेरा. होतरावाला, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण :–

1. तुलछाराम पुत्र लालाराम
2. ढगलाराम पुत्र लालाराम
3. पाबूराम पुत्र लालाराम
4. धन्नीदेवी पत्नी लालाराम
5. शोभा पुत्री मदनलाल
6. बाजू पत्नी मदनलाल
7. रेखा पुत्री मदनलाल
8. संतोष पुत्री मदनलाल
9. सरोज पुत्री मदनलाल
10. धापू पुत्री मदनलाल
11. मोनिका पुत्री मदनलाल
12. सरूप पुत्र मदनलाल
    प्रतिवादी संख्या 8 से 12 नाबालिग वलिया माता धन्नी देवी पत्नी मदनलाल
13. फूली देवी पुत्री लालाराम
14. बादरराम पुत्र मंगलाराम
15. रतनलाल पुत्र मंगलाराम
16. लीला पत्नी बुधाराम माली
    निवासी– रास
17. अणदाराम पुत्र भीकाराम
18. प्रकाश पुत्र भीकाराम
19. रामसुख पुत्र मानाराम
20. भीका पुत्र रूपा
21. नाथूराम पुत्र लालुराम
22. बाबूलाल पुत्र लालुराम
23. पेमाराम पुत्र मंगलाराम
24. नारायण पुत्र बीजाराम
25. ढगलाराम पुत्र बीजाराम
26. जबरीया पुत्र हरकाराम
27. बगदाराम पुत्र बीजा के का0मु0
    - 27/1. जगदीश पुत्र बगदाराम
    - 27/2. धर्माराम पुत्र बगदाराम
    - 27/3. नवरतन पुत्र बगदाराम
    - 27/4. चैनाराम पुत्र बगदाराम
28. घीसीया पुत्र गुमना के का0मु0
    - 28/1. बाबूलाल पुत्र घीसीया
    - 28/2. [illegible]नलाल पुत्र घीसीया
29. हेमा पुत्र गुमना के का0मु0
    - 29/1. भंवरलाल पुत्र हेमा
    - 29/2. रामा पुत्र हेमा
30. पुना पुत्र प्रभु के का0मु0

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

30/1. सादुराम पुत्र पुनाराम के
का0मु0
30/1/1. तेजाराम पुत्र सादुराम
30/1/2. जयराम पुत्र सादुराम
30/1/3. शैतानाराम पुत्र सादुराम
30/1/4. हडमान पुत्र सादुराम
30/1/5. हरदीन पुत्र सादुराम
31. सुखी देवी पुत्र मंगाराम के
का0मु0
31/1.ओमप्रकाश पुत्र किशनाराम
31/2.मोतीलाल पुत्र किशनाराम
31/3.गोकल पुत्र किशनाराम
32.जमुदेवी पुत्री मंगाराम
33.मिश्रीलाल पुत्र मानाराम
34.पोकरराम पुत्र मानाराम
35.लुम्बाराम पुत्र मानाराम
36.दलाराम पुत्र मानाराम
जातियान– माली निवासीगण–
बलून्दा, तहसील– जैतारण,
जिला– पाली राज0
37.तहसीलदार जैतारण, तहसील–
जैतारण, जिला– पाली राज0।
38. प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा
ग्रामीण राजस्थान बैंक, बलून्दा।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 48 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.15.10.2020

उपस्थितः– 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री तुलछाराम माली, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 23/05/2022

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 48 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 की सामलाती खातेदारी एंव कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1745 रकबा 22 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। नकल जामबन्दी संवत 2073 से 2076 की पेश है। उक्त कृषि भूमि में वादी संख्या 1 से 4 का 1/6 हिस्सा, 96 वादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8 से 13 का व 16 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 व 15 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 व 18 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 19 का 1/6 हिस्सें के खातेदार काश्तकार है। मौके पर माफिक हिस्सेनुसार कब्जा काश्त है। सरहद मौजा बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली में वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 16 व 20 से 22 सामलाती खातेदार एंव कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 659 रकबा 0–07 बीघा गै. मु. बाड़ा रकबा नम्बर 660 रकबा 0–02 बीघा गै.मु. बाड़ा कुल रकबा बाबूलाल माली 0–09 बीघा आई हुई है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 की पेश है। जमाबन्दी में खसरा नम्बर 659 व 660 में गै.मु. बाड़े दर्ज है परन्तु मौके पर बाड़ा नही होकर कृषि भूमि है तथा उक्त भूमि मौके पर 2 बीघा है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 16 का कब्जा काश्त है, इस पद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

अंकित प्रतिवादीगण नें इस भूमि के ऐवज में वादीगण को खसरा नम्बर 687 रकबा 3–02 बीघा भूमि वादीगण को वक्त सेटलमेंन्ट के समय से दे दी। सरहद मौजा बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 व 20 से 22 व 23 से 32 की सामलाती खातेदार एंव कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 665 रकबा 3–12 बीघा किस्म चाही चारम आई हुई है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 की पेश है। उक्त कृषि भूमि में इस पद में बतायें प्रतिवादी का ही कब्जा काश्त हैं तथा प्रतिवादीगण द्वारा इस भूमि के ऐवज में वादीगण को खसरा नम्बर 687 रकबा 3–02 बीघा भूमि दी। जिस पर वादीगण पिछलें सेटलमेंन्ट अर्थात 66 वर्षो से कब्जा काश्त हैं इस प्रकार खसरा नम्बर 659, 660 व 665 की भूमि का खसरा नम्बर 687 की भूमि का विनिमय हुआ। सरहद मौजा बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली में वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 16 व 19, 20 तथा 33 से 36 की सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 612 रकबा 61–03 बीघा, खसरा नम्बर 625 रकबा 82–11 बीघा, खसरा नम्बर 626 रकबा 1–03 बीघा व खसरा नम्बर 627 रकबा 0–09 बीघा गै.मु. बेरा, 628 रकबा 1–17 बीघा गै.मु. ढाणी कुल रकबा 147– 03 बीघा आई हुई है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 व नक्शा ट्रेस पेश हैं। उक्त कृषि भूमि में वादी संख्या 1 से 4 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 5 से 6 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 13 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 व 15 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 19 व 33 से 36 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 20 का 1/6 हिस्सा है। हिस्सेनुसार काबिज होकर मौके पर काश्त करते हैं। बाद पत्र के पद संख्या 1 से 4 में दर्ज कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सामलाती खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। जिसका बंटवाड़ा कानुनन/बाई मिटप्स एण्ड बाउन्डस के कि जाना आवश्यक है। सामलाती खातेदारी की भूमि होने से वादीगण अपने हिस्से की कृषि भूमि को काबिल काश्त हेतु खाद बीज आदि के लिए बैंक से ऋण लेने व अपने हिस्से की भूमि के लिए बैंक से किसान कार्ड बनवानें में भी परेशानी होती है व अलग से कुंआ खुदवाकर उस पर विद्युत कनेक्शन लेने में भी परेशानी होती है। वादीगण नें वादपत्र में वर्णित भूमि के बंटवाड़ा करने बाबत् दिनांक 02.09.2020 को कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट इनकार हुये तब वादीगण ने यह बंटवाड़ा का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश हैं। वादपत्र के पद संख्या 1 व 4 में दर्ज कृषि भूमि का मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजो के समय से अर्थात पिछलें 66 वर्षो से अधिक समय से मौके पर बंटवाड़ा हो रखा हैं जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में बतायेंनुसार वादी संख्या 1 से 4 की भूमि पीलें रंग से व वादी संख्या 5 व 6 की भूमि को लाल रंग से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 13 व 16 की भूमि को काले रंग से प्रतिवादी संख्या 14 व 15 की भूमि को अ[illegible] रंग से, प्रतिवादी संख्या 20 की भूमि को बैंगनी रंग से दर्शाया [illegible] 33 से 36 की भूमि को हरें रंग से दर्शाया हैं उसी[illegible] काबिज होकर काश्त करतें है तथा खसरा नम्बर 659, 660 की भूमि का भी वक्त [illegible]टलमेंन्ट से मौके पर बंटवाड़ा हो रखा है। जिस पर पद संख्या 2 व 3 में बतायें खातेदारान का कब्जा काश्त हैं। बाद पत्र में वर्णित सामलाती खातेदारी की भूमि में खसरा नम्बर 625, 626, 628,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला पाली

612 में प्रतिवादीगण बिना बंटवाड़ा करवायें कृषि भूमि में अकृषि कार्य मकान निर्माण कर कृषि भूमि का स्वरूप बदल रहें है। जबकि प्रतिवादीगण बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के मनचायें भू-भाग में मकान निर्माण कर देते है तो वादीगण के हक अधिकार प्रभावित होंगे, वादीगण द्वारा कृषि भूमि में अकृषि कार्य करने हेतु मना किया तो नहीं मानें व सामलाती भूमि में प्रतिवादीगण वादीगण की खन्दक मेंड़ को खुर्द बुर्द कर अपने हिस्से की भूमि मिला लेते है व प्रतिवादीगण सामलाती खातेदारी की भूमि में दिनांक 02.09.2020 को मकान निर्माण शुरू करनें पर वादीगण नें मना किया, तो नहीं मानें व बिना बंटवाड़ा करवायें सामलाती खातेदारी कि भूमि को प्रतिवादीगण में बैचान, हस्तान्तरण करने की धमकी दी व क्रेता को यदि विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा करवा देतें है तो वादीगण के हक व अधिकार प्रभावित होगें उसें असिम हानी होगी उपरोक्त गैर कानूनी कृत्यों को रोके जानें है, वादीगण नें वाद स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद बंटवाड़ा का वाद पेश किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 37 तहसीलदार जैतारण भूमि राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया हैं व प्रतिवादी संख्या 19 व 35, 36 नें अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 38 के यहाँ रहन रखकर ऋण लिया इसलिए बंटवाड़े के बाद में प्रतिवादी संख्या 38 आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है। बिनाय वाद दिनांक 02.09.2020 को वादीगण ने बाद में वर्णित भूमि को बंटवाड़ा करने बाबत् कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट इनकार हुये व सामलाती खातेदारी की भूमि में बिना बंटवाड़ा करवायें प्रतिवादीगण मकान निर्माण करनें लेगें व वादीगण की भूमि को अपने हिस्से की भूमि में मिलाने पर मना करनें तथा सामलाती खातेदारी की भूमि को बिना बंटवाड़ा करवायें बैचान हस्तान्तरण कर क्रेताओं को मनचाही जगह पर कब्जा करवानें की धमकी देनें पर बमुकाम बलुन्दा तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 5 से 7, 13, 17, 21 से 26, 27/1 से 27/4, 28/1 से 28/2, 29/1 से 29/2, 30/1/1 से 30/1/5, 31/1 से 31/3 व 32 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4, 8 से 12, 14 से 16, 18 से 20, 33 से 36, प्रतिवादी संख्या 11 व 12 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब दावा पेश किया गया, जो सा0मि0 मिसल है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4, 14 से 16, 18 से 20, 33 से 36, ने जवाब दावा में जाहिर किया कि वादपत्र के पद संख्या 1 का जबाब है कि खसरा नम्बर 1745 रकबा 22 बीघा कृषि भूमि जो सरहद मौजा बलून्दा मे स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। सभी सहखातेदार एवं सहकाश्तकार अपने अपने हक हिस्से अनुसार कब्जा काबिज है एवं काश्त करते चले आ रहे है तथा सभी का हिस्सा राजस्व रिकार्ड चालू जमाबन्दी अनुसार है जो सही है। वादपत्र के पद संख्या 2 का जबाब है कि खसरा नम्बर 659 रकबा 0-07 बीघा गै0मु0 बाड़ा व ख0नं0 660 रकबा 0-02 बीघा गै0मु0 बाड़ा कुल 0-09 बीघा भूमि आई हुई है। जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

20 से 22 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है उक्त सहखातेदार एवं सहकाश्तकार माफिक राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है एवं उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त भूमि उक्त सहखातेदार एवं सहकाश्तकारान् की संयुक्त सामलाती अविभाजित भूमि है। वादीगण द्वारा इस पद में यह उल्लेख करना कि ख0 नं0 659 व 660 गै0 मु0 बाड़े 02 बीघा है कतई गलत व नामंजूर है तथा इस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 का कब्जा काश्त है तथा इस भूमि के एवज मे वादीगण को खसरा नम्बर 687 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि वादीगण को वक्त सेटलमेन्ट के समय दे दी कतई गलत व झूठे कथन होने से जबाब देहन्दागण स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते है। वादीगण ने उक्त भूमि व खसरा नम्बर 687 के सम्बन्ध मे जो कथन इस पद मे आयद किये है वह कथन सभी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दीयों के विपरित है तथा वादीगण को कभी भी खसरा नम्बर 659 व 660 की भूमि की एवज में खसरा नम्बर 687 की भूमि नही दी थी। वादीगण की नियत खराब होने व केवल मात्र जबाब देहन्दागण को तंग व परेशान करने की नियत से राजस्व रेकर्ड के विरुद्ध जाकर केवल जुबानी कथनो को आधार बनाकर यह वादपत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के है। वादपत्र के पद संख्या 3 का जबाब है कि खसरा नम्बर 665 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15, 20, 22, 23 से 32 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा बलून्दा मे आई हुई है। उक्त भूमि पर माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार सहखातेदार एवं काश्तकार सभी अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं उपयोग उपभोग कर रहे है। वादीगण द्वारा इस पद में यह कथन उल्लेख करना कि खसरा नम्बर 659 व 660 तथा 665 भूमि के एवज में प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 687 की भूमि वादीगण को विनिमय की है, कतई गलत व नामंजूर है तथा वादीगण द्वारा यह कथन आयद करना कि पिछ्ले 66 वर्षो से खसरा नम्बर 687 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है कतई गलत व नामंजूर है। खसरा नम्बर 659, 660, 665 व 687 के राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि उक्त कृषि भूमि पर वादीगण एवं जबाब देहन्दागण व दीगर प्रतिवादीगण एक दुसरे के सहखातेदार एवं सहकाश्तकार है तथा सभी सहखातेदार एवं सहकाश्तकार उक्त चारो खसरा नम्बर की भूमियो पर अपने पूर्वजो के समय से माफिक राजस्व रेकर्ड हिस्से अनुसार काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी रोकटोक के लगातार काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीगण की नियत खराब है, केवल मात्र जुबानी एवं झूठे कथनो को आधार बनाकर राजस्व रेकर्ड के विपरित एवं विरुद्ध कथन कर झूठा वादपत्र भूमि की विनिमय बाबत पेश किया है, जो कतई मेन्टेनेबल नहीं है वादीगण को केवल मात्र [illegible] कृषि भूमि के सम्बन्ध मे बंटवाड़ा का वादपत्र दायर करना था [illegible] माफिक राजस्व रेकर्ड जमाबन्दीयो अनुसार बंटवाड़ा [illegible] बाउण्डरस् के किया जाता है तो उसमे जबाब देहन्दागण को कोई आप्पति ऐतराज नहीं है। वादीगण इस वादपत्र में जिस खसरा नम्बरान् की कृषि भूमि बाबत् विनिमय की दादरसी चाही है वह कतई गलत है व न ही वादीगण ऐसी दादरसी केवल मात्र जुबानी एवं मनगढ्न्त तथ्यों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible]

आधार बनाकर राजस्व रेकर्ड के विपरित व विरुद्ध प्राप्त करने के हकदार नहीं होने से वादीगण का वादपत्र विनिमय की दादरसी के तहत पोषणीय नहीं होने से काबिल खारिज के है। वादपत्र के पद संख्या 4 का जबाब है कि इस पद में वर्णित कृषि भूमि पर पक्षकारान् मौके पर काबिज राजस्व रेकर्ड अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा सभी पक्ष माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त कृषि भूमि के आपस मे सहहिस्सेदारान् एवं सहखातेदारान् व सहकाश्तकारान् है, परन्तु बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के राजस्व रेकर्ड के कोई बंटवाडा नही हो रखा है इसलिए बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा किया जाता है तो जबाब देहन्दागण को कोई आप्पति ऐतराज नहीं है। वादपत्र के पद संख्या 5 का जबाब है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं जबाब देहन्दागण तथा दीगर प्रतिवादीगण की सामलाती संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि में सभी पक्षों का माफिक राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी अनुसार हक हिस्सा व अधिकार है एवं मौके पर भी माफिक राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं एवं उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है परन्तु बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा नही हो रखा है इसके अलावा वादीगण ने इस पद में जो कथन आयद किये है जो कतई गलत व नामंजूर है। वादीगण सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी बाबत् केवल मात्र बंटवाडा की रीलीफ प्राप्त करने के कानूनन हकदार है इसके अलावा विनिमय एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादीगण कोई भी दादरसी जबाब देहन्दागण के विरुद्ध प्राप्त करने के कानूनन हकदार नहीं है। वादपत्र के पद संख्या 6 का जबाब है कि वादपत्र के पद संख्या 1 व 4 मे दर्ज कृषि भूमि पर सभी पक्ष माफिक राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी अनुसार मौके पर काबिज है एवं काश्त करते चले आ रहे है तथा उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं वादीगण ने अपने वादपत्र के साथ जो नजरी नक्शा पेश किया है वह राजस्व रेकर्ड एवं ट्रेस नक्शा के विपरित एवं विरुद्ध पेश किया इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपने वादपत्र के साथ नजरी नक्शा कतई गलत होने से तथा मौके की स्थिति से विपरित होने से जबाब देहन्दागण अस्वीकार करते है। वादग्रस्त कृषि भूमि के वादीगण एवं जबाब देहन्दागण तथा दीगर प्रतिवादीगण एक दुसरे के सहखातेदार, सहकाश्तकार एवं सहहिस्सेदार है तथा अपने पूर्वजो के समय से माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार अरसे दराज से काबिज है। इसलिए पक्षकारान् के मध्य केवल मात्र बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा का विवाद है। इसलिए वादीगण बंटवाडा के अनुतोष के अलावा कोई भी बावरसी यथा विनिमय एवं स्थाई निषेधाज्ञा ज़बाब देहन्वागण के विरुद्ध प्राप्त करने के कानूनन हकदार नहीं होने से वादीगण का वादपत्र भूमि का विनिमय एवं स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी की सीमा तक काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज क हिस्से अनुसार बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस के कानूनी बंटवाडा किया जाता है तो उसमे जबाब देहन्दागण को कोई आप्पति ऐतराज नहीं है। वादपत्र के पद संख्या 7 का जबाब है कि इस पद से वादीगण ने जो तथ्य अंकित किये है वह गलत मनगढन्त झूठे होने से जबाब देहन्दागण स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते है। वादीगण ने केवल मात्र वादपत्र दायर करने की गरज से उक्त तथ्यों का उल्लेख किया है। वास्तव मे जबाब देहन्दागण माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त आराजी पर अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

काबिज है एवं अपने पूर्वजो के समय से अपने हक हिस्से की भूमि को काम में लेते आ रहे है। वादीगण एवं जबाब देहन्दागण तथा दीगर प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के एक दुसरे के सहखातेदार सहकाश्तकार एवं सहहिस्सेदार है तथा सभी पक्षों को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में बतौर तेदार काश्तकार के नाम इन्द्राज है। इसलिए वादीगण एकखातेदार काश्तकार तथा सहहिस्सेदार एवं सहकाश्तकार के विरुद्ध कोई भी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनन हकदार नहीं होने से वादीगण का वादपत्र भूमि की विनिमय एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सीमा तक पोषणीय नही होने से काबिज खारिज के है। वादपत्र के पद संख्या 8 कानूनी है जो गौर अदालत बाला के है। 9 वादपत्र के पद संख्या 9 विनाय याद बाबत है वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई बिनाय बाद दिनांक 02.09.2020 या अन्य किसी भी दिनांक को उत्पन्न नहीं होनें से वादीगण का वादपत्र संख्या बिनाय वाद के अभाव में किसी दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावें। अतः जवाब वादपत्र मय शपथपत्र, राजस्व रेकर्ड जमाबन्दीयां व ट्रेस नक्शा पेश कर निवेदन है कि जवाब वादपत्र में वर्णित तथ्यों, कानूनी प्रावधानों एवं वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस के आधार से वादीगण का वादपत्र किसी दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावें। इस प्रकार अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के पक्षकारान् में बंटवाड़ा करने की इस्तदुआं की। वादी का साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुआ, जो सा0मि0 है। सहमति स्वरूप अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपने अपने हस्ताक्षर आदेशिका पर किये। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात, जवाब दावा इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 सम्वत् 2073-2076 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 1745 रकबा 22-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 687 रकबा 4-13 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 690 रकबा 01-18 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 659 किस्म 0-07 बीघा किस्म गै0मु0 बाड़ा, खसरा नम्बर 660 रकबा 0-02 बीघा किस्म गै0मु0 बाड़ा, खसरा नम्बर 665 रकबा 03-12 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 612 रकबा 61-03 बीघा, खसरा नम्बर 625 रकबा 82-11 बीघा, खसरा नम्बर 626 रकबा 01-03 बीघा, खसरा नम्बर 627 रकबा 0-09 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 628 रकबा 01-17 बीघा गै0मु0 पाणी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4, 14, 15, 16, 18, 19, 20, [illegible] 36, के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री [illegible] कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा बलुन्दा पटवार हल्का बलुन्दा के खसरा नम्बर 1745 रकबा 22-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 687 रकबा 4-13 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 690 रकबा 01-18 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 659 किस्म 0-07 बीघा किस्म गैoमुo बाड़ा, खसरा नम्बर 660 रकबा 0-02 बीघा किस्म गैoमुo बाड़ा, खसरा नम्बर 665 रकबा 03-12 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 612 रकबा 61-03 बीघा, खसरा नम्बर 625 रकबा 82-11 बीघा, खसरा नम्बर 626 रकबा 01-03 बीघा, खसरा नम्बर 627 रकबा 0-09 बीघा किस्म गैoमुo बेरा, खसरा नम्बर 628 रकबा 01-17 बीघा गैoमुo ढाणी की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट **मय** नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/1114 दिनांक 08/12/2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण के पत्रांक/भू.अ./2022/3177 दिनांक 09/05/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। खसरा संख्या 659, 660, 665, 626, 627, 628 (किस्म- गै.मु.बाड़ा, गै.मु. बेरा, गै.मु. ढाणी व अन्य) को शामलाति रखने से बंटवाड़ा रिपोर्ट तैयार नही की गई है। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बलुन्दा पटवार हल्का बलुन्दा के खसरा नम्बर 1745 रकबा 22-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 687 रकबा 4-13 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 690 रकबा 01-18 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 659 किस्म 0-07 बीघा किस्म गै0मु0 बाड़ा, खसरा नम्बर 660 रकबा 0-02 बीघा किस्म गै0मु0 बाड़ा, खसरा नम्बर 665 रकबा 03-12 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 612 रकबा 61-03 बीघा, खसरा नम्बर 625 रकबा 82-11 बीघा, खसरा नम्बर 626 रकबा 01-03 बीघा, खसरा नम्बर 627 रकबा 0-09 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 628 रकबा 01-17 बीघा गै0मु0 ढाणी की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	किस्म	लगान
1.	चन्द्राराम मूलाराम पिता खेमाराम कौम माली सा.देह खातेदार	625/2	0.4416	चा.दो	7.22
		625/12	0.1380	चा.दो	
		625/18	0.3960	चा.दो	
		625/23	0.3200	चा.दो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

		625/25	0.2100	चा.दो	
		625/32	0.3025	चा.दो	
		625/41	0.2540	चा.दो	
		612/2	0.7342	बा.अ.	1.39
		612/6	0.5830	बा.अ.	
		612/12	0.3260	बा.अ.	
		1745/4	0.5935	बा.अ.	
	योग	**11**	**4.2988**	–	**8.61**
2.	दुर्गाराम पुखाराम बाबूलाल हरदीनराम पिता मंगाराम कौम माली सा.देह खातेदार	625/4	0.4416	चा.दो	7.22
		625/8	0.1380	चा.दो	
		625/15	0.3960	चा.दो	
		625/20	0.2100	चा.दो	
		625/30	0.3200	चा.दो	
		625/31	0.3025	चा.दो	
		625/38	0.2540	चा.दो	
		612/5	0.7341	बा.अ.	1.39
		612/9	0.5830	बा.अ.	
		612/16	0.3260	बा.अ.	
		1745/5	0.5935	बा.अ.	
	योग	**11**	**4.2987**	–	**8.61**
3.	ढगलाराम तुलछाराम पाबूराम पिता लालाराम फूली 1 लालाराम धनीदेवी पत्नी मदनलाल धापू बाजू मोनिका रेखा शोभा संतोष सरोज पुत्रिया मदनलाल संरूप मदनलाल सा.देह लीलादेवी पत्नी बुधाराम कौम माली सा.रास खातेदार	625/1	0.4485	चा.दो	7.24
		625/10	0.1380	चा.दो	
		625/13	0.3960	चा.दो	
		625/22	0.3200	चा.दो	
		625/28	0.2100	चा.दो	
		625/35	0.3025	चा.दो	
		625/43	0.2540	चा.दो	
		612/4	0.7342	बा.अ.	1.39
		612/11	0.5830	बा.अ.	
		612/18	0.3260	बा.अ.	
		1745	0.5935	बा.अ.	
	योग	**11**	**4.3057**	–	**8.63**
4.	दलाराम पोकरराम मिश्रीलाल रामसुख लुम्बाराम पि. मानाराम कौम माली सा. देह खातेदार रहन दलाराम लुम्बाराम का हि. आरएमजीबी बलून्दा	625/3	0.4470	चा.दो	7.24
		625/9	0.1380	चा.दो	
		625/14	0.3960	चा.दो	
		625/24	0.2100	चा.दो	
		625/26	0.3200	चा.दो	
		625/34	0.3025	चा.दो	
		625/[illegible]	0.2440	चा.दो	
		612/[illegible]	0.7342	बा.अ.	1.02
		612/7	0.5830	बा.अ.	
		612/17	0.3260	बा.अ.	
	योग	**10**	**3.7107**		**8.26**
5.	रामसुख पुत्र मानाराम कौम माली सा.देह खातेदार	1745/2	0.5935	बारानी अव्वल	0.37

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

	योग	1	0.5935		0.37
6.	भीकाराम पुत्र रूपाराम कौम माली सा.देह खातेदार	625	0.4470	चा.दो	7.24
		625/11	0.1380	चा.दो	
		625/17	0.3960	चा.दो	
		625/19	0.3200	चा.दो	
		625/29	0.2100	चा.दो	
		625/33	0.3025	चा.दो	
		625/42	0.2540	चा.दो	
		612/3	0.7341	बा.अ.	1.02
		612/10	0.5830	बा.अ.	
		612/14	0.3260	बा.अ.	
	योग	10	3.7106	–	8.26
7.	बादरराम रतनलाल पि. मंगलाराम कौम माली सा. देह खातेदार	625/6	0.4135	चा.दो	7.24
		625/7	0.1380	चा.दो	
		625/16	0.3960	चा.दो	
		625/21	0.2100	चा.दो	
		625/27	0.3200	चा.दो	
		625/36	0.3025	चा.दो	
		625/40	0.2540	चा.दो	
		625/44	0.0350	चा.दो	
		612/1	0.7342	बा.अ.	1.39
		612/8	0.5830	बा.अ.	
		612/13	0.3260	बा.अ.	
		1745/1	0.5936	बा.अ.	
	योग	12	4.3058	–	8.63
8.	अणदाराम पुत्र भीकाराम प्रकाश पुत्र भीकाराम कौम माली सा.देह खातेदार	1745/3	0.5936	बा.अ.	0.30
	योग	1	0.5936	–	0.30
9.	चन्द्राराम मूलाराम पि.खेमाराम 1/6 ढगलाराम तुलछाराम पाबूराम पि. लालाराम फुली लालाराम धनी पत्नी मदनलाल धापू बाजू मोनिका रेखा शोभा संतोष सरोज पुत्रियां मदनलाल सरूप मदन सा.देह लीलादेवी पत्नी बुधाराम सा.रास 1/6 दुर्गाराम पुखाराम बाबूलाल हरदीनराम पि. मंगाराम 1/6 दलाराम पोकरराम मिश्रीलाल रामसुख लुम्बाराम पि. मानाराम 1/6 भीकाराम/रूपाराम 1/6 बादरराम रतनलाल पि. मंगलाराम 1/6 कौम माली सा.देह खातेदार रहन दलाराम लुम्बाराम पि. मानाराम का हि. आरएमजीबी बलून्दा	625/5	0.2785	चा.दो	2.80
		625/37	0.5030	गै. मु. रास्ता	
		625/46	0.0230	गै. मु. रास्ता	
		612/15	0.0396	गै. मु. रास्ता	0.02
	योग	4	0.8441	–	2.82
10	चन्द्राराम मूलाराम पि. खेमाराम 1/2 दुर्गाराम पुखाराम बाबुलाल हरदीन[illegible] पि. मंगाराम 1/2 कौम माली सा[illegible] खातेदार	625/[illegible]	0.0618	चा.दो	0.22
	योग	1	0.0618	–	0.22
11	भीकाराम पुत्र रूपाराम 1/2 दलाराम पोकरराम मिश्रीलाल रामसुख लुम्बाराम पि. मानाराम 1/2 कौम	625/45	0.0510	चा.दो	0.18

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

	माली सा. देह खातेदार रहन दलाराम लुम्बाराम पि. मानाराम का हि. आरएमजीबी शाखा बलून्दा				
	योग	1	0.0510	–	0.17
12	बादरराम रतनलाल पि. मंगलाराम 1/2 ढगलाराम तुलछाराम पाबूराम पि. लालाराम फुली/लालाराम धनी पत्नी मदनलाल धापू बाजू मोनिका रेखा शोभा संतोष सरोज पुत्रियां मदनलाल सरूप/मदनलाल कौम माली सा.देह लीलादेवी पत्नी बुधाराम 1/2 कौम माली सा.रास खातेदार	625/47	0.0480	चा.दो.	0.17
	योग	1	0-0480	–	0.17

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण, जिला-पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 23/05/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं प्रदेन,
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

बईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-:: वादीगण :-

1. बाबूलाल पुत्र मंगाराम
2. पुकाराम पुत्र मंगाराम
3. दुर्गाराम पुत्र मंगाराम
4. हरदीनराम पुत्र मंगाराम
5. मूलाराम पुत्र खेमाराम
6. चन्द्राराम पुत्र खेमाराम

जातियान- माली, निवासी- बलून्दा बेरा होतरावाला, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राजस्थान।

बनाम

-:: प्रतिवादीगण :-

1. तुलछाराम पुत्र लालाराम
2. ढगलाराम पुत्र लालाराम
3. पाबूराम पुत्र लालाराम
4. धन्नीदेवी पत्नी लालाराम
5. शोभा पुत्री मदनलाल
6. बाजू पत्नी मदनलाल
7. रेखा पुत्री मदनलाल
8. संतोष पुत्री मदनलाल
9. सरोज पुत्री मदनलाल
10. धापू पुत्री मदनलाल
11. मोनिका पुत्री मदनलाल
12. सरूप पुत्र मदनलाल प्रतिवादी संख्या 8 से 12 नाबालिग वलिया माता धन्नी देवी पत्नी मदनलाल
13. फूली देवी पुत्री लालाराम
14. बादरराम पुत्र मंगलाराम
15. रतनलाल पुत्र मंगलाराम
16. लीला पत्नी बुधाराम माली निवासी- रास
17. अणदाराम पुत्र भीकाराम
18. प्रकाश पुत्र भीकाराम
19. रामसुख पुत्र मानाराम
20. भीका पुत्र रूपा
21. नाथूराम पुत्र लालुराम
22. बाबूलाल पुत्र लालुराम
23. पेमाराम पुत्र मंगलाराम
24. नारायण पुत्र बीजाराम
25. ढगलाराम पुत्र बीजाराम
26. जबरीया पुत्र हरकाराम
27. बगदाराम पुत्र बीजा के का.मु.
    - 27/1. जगदीश पुत्र बगदाराम
    - 27/2. धर्माराम पुत्र बगदाराम
    - 27/3. नवरतन पुत्र बगदाराम
    - 27/4. चैनाराम पुत्र बगदाराम
28. घीसीया पुत्र गुमना के का0मु0
    - 28/1. बाबूलाल पुत्र घीसीया
    - 28/2. मदनलाल पुत्र घीसीया
29. [illegible] पुत्र गुमना के का0मु0
    - 29/1. भंवरलाल पुत्र हेमा
    - 29/2. रामा पुत्र हेमा
30. पुना पुत्र प्रभु के का0मु0
    - 30/1. सादुराम पुत्र पुनाराम के का0मु0

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

30/1/1. तेजाराम पुत्र सादुराम
30/1/2. जयराम पुत्र सादुराम
30/1/3 शैतानाराम पुत्र सादुराम
30/1/4. हड़मान पुत्र सादुराम
30/1/5. हरदीन पुत्र सादुराम
31. सुखी देवी पुत्र मंगाराम के का0मु0
31/1 ओमप्रकाश पुत्र किशनाराम
31/2 मोतीलाल पुत्र किशनाराम
31/3. गोकल पुत्र किशनाराम
32. जमुदेवी पुत्री मंगाराम
33. मिश्रीलाल पुत्र मानाराम
34. पोकरराम पुत्र मानाराम
35. लुम्बाराम पुत्र मानाराम
36. दलाराम पुत्र मानाराम
जातियान– माली निवासीगण– बलून्दा, तहसील– जैतारण, जिला–पाली राज0
37. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।
38. प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण राजस्थान बैंक, बलून्दा।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,48 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 102/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....–........ व हाजरी श्री ओम प्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजस्व रेकर्ड प्रा0डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बलुन्दा पटवार हल्का बलुन्दा के खसरा नम्बर 1745 रकबा 22–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 687 रकबा 4–13 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 690 रकबा 01–18 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 659 किस्म 0–07 बीघा किस्म गै0मु0 बाड़ा, खसरा नम्बर 660 रकबा 0–02 बीघा किस्म गै0मु0 बाड़ा, खसरा नम्बर 665 रकबा 03–12 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 612 रकबा 61–03 बीघा, खसरा नम्बर 625 रकबा 82–11 बीघा, खसरा नम्बर 626 रकबा 01–03 बीघा, खसरा नम्बर 627 रकबा 0–09 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 628 रकबा 01–17 बीघा गै0मु0 ढाणी की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा ([illegible] में)	किस्म	लगान
1.	चन्द्राराम मूलाराम पिता खेमाराम कौम माली सा.देह खातेदार	[illegible]	[illegible]	चा.दो	7.22
		625/12	0.1380	चा.दो	
		625/18	0.3960	चा.दो	
		625/23	0.3200	चा.दो	
		625/25	0.2100	चा.दो	
		625/32	0.3025	चा.दो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

		625/41	0.2540	चा.दो	
		612/2	0.7342	बा.अ.	1.39
		612/6	0.5830	बा.अ.	
		612/12	0.3260	बा.अ.	
		1745/4	0.5935	बा.अ.	
	योग	**11**	**4.2988**	–	**8.61**
2.	दुर्गाराम पुखाराम बाबूलाल हरदीनराम पिता मंगाराम कौम माली सा.देह खातेदार	625/4	0.4416	चा.दो	7.22
		625/8	0.1380	चा.दो	
		625/15	0.3960	चा.दो	
		625/20	0.2100	चा.दो	
		625/30	0.3200	चा.दो	
		625/31	0.3025	चा.दो	
		625/38	0.2540	चा.दो	
		612/5	0.7341	बा.अ.	1.39
		612/9	0.5830	बा.अ.	
		612/16	0.3260	बा.अ.	
		1745/5	0.5935	बा.अ.	
	योग	**11**	**4.2987**	–	**8.61**
3.	ढगलाराम तुलछाराम पाबूराम पिता लालाराम फूली 1 लालाराम धनीदेवी पत्नी मदनलाल धापू बाजू मोनिका रेखा शोभा संतोष सरोज पुत्रिया मदनलाल सरूप मदनलाल सा.देह लीलादेवी पत्नी बुधाराम कौम माली सा.रास खातेदार	625/1	0.4485	चा.दो	7.24
		625/10	0.1380	चा.दो	
		625/13	0.3960	चा.दो	
		625/22	0.3200	चा.दो	
		625/28	0.2100	चा.दो	
		625/35	0.3025	चा.दो	
		625/43	0.2540	चा.दो	
		612/4	0.7342	बा.अ.	1.39
		612/11	0.5830	बा.अ.	
		612/18	0.3260	बा.अ.	
		1745	0.5935	बा.अ.	
	योग	**11**	**4.3057**	–	**8.63**
4.	दलाराम पोकरराम मिश्रीलाल रामसुख लुम्बाराम पि. मानाराम कौम माली सा. देह खातेदार रहन दलाराम लुम्बाराम का हि. आरएमजीबी बलून्दा	625/3	0.4470	चा.दो	7.24
		625/9	0.1380	चा.दो	
		625/14	0.3960	चा.दो	
		625/24	0.2100	चा.दो	
		625/26	0.3200	चा.दो	
		625/34	0.3025	चा.दो	
		625/39	0.2440	चा.दो	
		[illegible]	0.7342	बा.अ.	1.02
		[illegible]	0.5830	बा.अ.	
		[illegible]	0.3260	बा.अ.	
	योग	**10**	**3.7107**		**8.26**
5.	रामसुख पुत्र मानाराम कौम माली सा.देह खातेदार	1745/2	0.5935	बारानी अव्वल	0.37
	योग	**1**	**0.5935**		**0.37**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

6.	भीकाराम पुत्र रूपाराम कौम माली सा.देह खातेदार	625	0.4470	चा.दो	7.24
		625/11	0.1380	चा.दो	
		625/17	0.3960	चा.दो	
		625/19	0.3200	चा.दो	
		625/29	0.2100	चा.दो	
		625/33	0.3025	चा.दो	
		625/42	0.2540	चा.दो	
		612/3	0.7341	बा.अ.	1.02
		612/10	0.5830	बा.अ.	
		612/14	0.3260	बा.अ.	
	योग	10	3.7106	–	8.26
7.	बादरराम रतनलाल पि. मंगलाराम कौम माली सा. देह खातेदार	625/6	0.4135	चा.दो	7.24
		625/7	0.1380	चा.दो	
		625/16	0.3960	चा.दो	
		625/21	0.2100	चा.दो	
		625/27	0.3200	चा.दो	
		625/36	0.3025	चा.दो	
		625/40	0.2540	चा.दो	
		625/44	0.0350	चा.दो	
		612/1	0.7342	बा.अ.	1.39
		612/8	0.5830	बा.अ.	
		612/13	0.3260	बा.अ.	
		1745/1	0.5936	बा.अ.	
	योग	12	4.3058	–	8.63
8.	अणदाराम पुत्र भीकाराम प्रकाश पुत्र भीकाराम कौम माली सा.देह खातेदार	1745/3	0.5936	बा.अ.	0.30
	योग	1	0.5936	–	0.30
9.	चन्द्राराम मूलाराम पि.खेमाराम 1/6 ढगलाराम तुलछाराम पाबूराम पि. लालाराम फुली लालाराम धनी पत्नी मदनलाल धापू बाजू मोनिका रेखा शोभा संतोष सरोज पुत्रियां मदनलाल सरूप मदन सा.देह लीलादेवी पत्नी बुधाराम सा.रास 1/6 दुर्गाराम पुखाराम बाबूलाल हरदीनराम पि. मंगाराम 1/6 दलाराम पोकरराम मिश्रीलाल रामसुख लुम्बाराम पि. मानाराम 1/6 भीकाराम/रूपाराम 1/6 बादरराम रतनलाल पि. मंगलाराम 1/6 कौम माली सा.देह खातेदार रहन दलाराम लुम्बाराम पि. मानाराम का हि. आरएमजीबी बलून्दा	625/5	0.2785	चा.दो	2.80
		625/37	0.5030	गै. मु. रास्ता	
		625/46	0.0230	गै. मु. रास्ता	
		612/15	0.0396	गै. मु. रास्ता	0.02
	योग	4	0.8441	–	2.82
10	चन्द्राराम मूलाराम पि. खेमाराम 1/2 दुर्गाराम पुखाराम बाबुलाल हरदीनराम पि. मंगाराम 1/2 कौम माली सा.देह खातेदार	625/48	0.0618	चा.दो	0.22
	योग	1	0.0618	–	0.22
11	भीकाराम पुत्र रूपाराम 1/2 दलाराम पोकरराम मिश्रीलाल रामसुख लुम्बाराम पि. मानाराम 1/2 कौम माली सा. देह खातेदार रहन दलाराम	625/45	0.0510	चा.दो	0.18

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

	लुम्बाराम पि. मानाराम का हि. आरएमजीबी शाखा बलून्दा				
	योग	1	0.0510	–	0.17
12	बादरराम रतनलाल पि. मंगलाराम 1/2 ढगलाराम तुलछाराम पाबूराम पि. लालाराम फुली/लालाराम धनी पत्नी मदनलाल धापू बाजू मोनिका रेखा शोभा संतोष सरोज पुत्रियां मदनलाल सरूप/मदनलाल कौम माली सा.देह लीलादेवी पत्नी बुधाराम 1/2 कौम माली सा.रास खातेदार	625/47	0.0480	चा.दो.	0.17
	योग	1	0-0480	–	0.17

नोट– 1. खसरा संख्या 687, 690 की बंटवाड़ा रिपोर्ट श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 32/2020 में अलग से तैयार की गई है।
2. खसरा संख्या 659, 660, 665, 626, 627, 628 (किस्म– गै.मु.बाड़ा, गै.मु. बेरा, गै.मु. ढाणी व अन्य) को शामलाति रखने से बंटवाड़ा रिपोर्ट तैयार नही की गई है।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेखा भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–..... .फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23/05/2022 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर जैतारण, जिला पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील	/	खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान	20-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–	23-00	मिजानः–	01-00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested